केबल बिछाने के संबंध में नियमों का अनुपालन

वर्तमान नियम :–

केबल बिछाने हेतु इच्छुक संस्था आयुक्त कार्यालय में एक आवेदन जमा करती है जिसे विभिन्न जोन अधिकारियों को प्रेषित किया जाता है । जोन अधिकारी तदुपरांत सड़क क्षतिपूर्ति का प्राक्कलन तैयार कर 17 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेस के साथ आयुक्त महोदय से अनुमति के उपरांत निम्न शर्तों के साथ अनुमति पत्र जारी करते है :–

1/ मुख्य मार्ग काटने पर संबंधित थाने को यातायात व्यवस्था हेतु सूचित करना होगा ।

2/ खुदाई करते समय कार्य प्रगति पर d`i;k /khj pfy; का सूचना बोर्ड स्थल पर रखना अनिवार्य होगा ।

3/ पाइप लाइन अन्य विभाग द्वारा डाले गये केबल लाईन की क्षति न पहुंचाया जावें ।

उपरोक्त अनुमति पत्र में इंगित उपरोक्तानुसार शर्तों का साधारणतयाः केबल संस्था द्वारा पालन नहीं किया जाता है एवं खुदाई किये जाते समय न ही अनुमति पत्र की प्रति होती है, न ही किस–किस मार्ग में अनुमति प्रदान की गई है इसकी प्रतिलिपी उपलब्ध होती है और न ही केबल बिछाने के उपरांत खुदाई से उत्पन्न हुए गढ्ढ़ों को ठीक से भरा जाता है । कुछ दिनों बाद केबल में जो खुली मिट्टी होती है उसके कारण उस जगह पर एक गढ़ढा दिखाई देने लगता है जो कि यातायात में बाधक होता है । इसके अतिरिक्त मिट्टी सड़क में फैला दी जाती है । दिन के समय सड़क सुरक्षा खामियों का भी ध्यान नहीं रखा जाता है । साधारणतयाः नगर निगम के अभियंता अपनी अन्य कार्यालयीन व्यस्तता के कारण इनका मॉनिटरिंग नहीं कर पाते है । इसके अतिरिक्त केबल संस्था को दी गई अनुमति में कार्य समय सीमा में नहीं होता है अतएव इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आयुक्त महोदय ने दिनांक 02.12.2008 को समस्त कार्यपालन प्रभारियों एवं जोन अभियंता आदि को पत्र जारी कर इस संबंध में नीति निर्धारण हेतु सुझाव भेजने को कहा गया था । वर्तमान में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । अतएव इस हेतु उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नानुसार नियम शर्तों के तहत केबल खुदाई के प्रकरण की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है :–

केबल लिकिंग के संबंध में नए नियमः—

1/ केबल क्षतिपूर्ति राशि के अतिरक्त इसकी कम से कम 50 प्रतिशत राशि जमानत के रूप में डी.डी. के द्वारा जमा की जानी होगी ताकि पाइप लाइन, कांक्रीट सड़क आदि अन्य की क्षति हो जाने पर क्षतिपूर्ति वसूला जा सकें । इसके अतिरिक्त संबंधित संस्थाओं से एक इन्डेमिनिटी बॉड भी भरना होगा ताकि किसी भी अतिरिक्त क्षति की पूर्ति इनसे की जा सकें (पाइप लाइन, कांकीट सडक, नाले, बिजली के खंभे आदि में व्यवधान) जमानत राशि की वापसी, कार्य समाप्ति की सूचना देने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कर Road Restoration में पूर्ण संतुष्टि के बाद ही दिया जाएगा। जिस कम्पनी का एक भी अवैध टेलीकॉम टावर होगा उसे केबल डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी इस संबंध में TPO एव Zone Commissioner Certify करेंगे । (TPO एक सप्ताह के भीतर ऐसे Company की सूची जारी करेंगे जिनके अवैध Tower है।)

2/ नगरीय क्षेत्रों में केबल बिछाने एवं अन्य प्रयोजन कार्यो हेतु खुदाई कार्य के लिए क्षतिपूर्ति राशि में निम्नानुसार दर होंगे :—

		iqjkuh nj	ubZ nj
1. मिट्टी/मुरूम	—	120.00 प्रतिवर्ग मी.	180.00 प्रतिवर्ग मी.
2. डब्ल्यू.बी.एम	—	240.00 प्रतिवर्ग मी.	360.00 प्रतिवर्ग मी.
3. साधारण बी.टी.रोड	—	485 प्रतिवर्ग मी.	730.00 प्रतिवर्ग मी.
4. हॉट मिक्स बी.टी.रोड	—	800 प्रतिवर्ग मी.	1200.00 प्रतिवर्ग मी.
5. कांक्रीट रोड़	—	1285 प्रतिवर्ग मी.	1830.00 प्रतिवर्ग मी.

mDr njksa esa [kqnkbZ dh pkSMkbZ de ls de 1 eh- ekuh tk,xhA

3/ Road Restoration का कार्य संतुष्टि पूर्वक ना होने पर जमानत राशि राजसात कर दी जाएगी एवं Indeminities bond के शर्तो के अनुसार कार्यवाही किया जाएगा। इसकी सूचना समस्त जोन कार्यपालन प्रभारियों को दी जावेगी एवं संबंधित कंपनी एवं कार्य एजेंसी को काली सूची में डाल दिया जाएगा।

4/ कार्य प्रारंभ करते ही स्थल पर एक संकेतक बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा ताकि नागरिकों द्वारा आवागमन में सावधानी बरती जा सके । मुख्य मार्ग करने के पहले संबंधित थाना एवं यातायात थाने को भी सूचित किया जाना होगा।

5/ कार्य प्रारंभ करने के 48 घंटें पूर्व संबंधित वार्ड पार्षद, जोन कमिषनर एसडीओ/सहायक अभियंता एवं उप–अभियंता को सूचित किया जाना होगा ।

6/ अनुमति दो माह के लिये ही वैध होगी । कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने की स्थिति में अनुमति की समय–सीमा बढ़ाने का अधिकार जोन कमीषनर को होगा जो कि स्थल निरीक्षण के उपरांत ही इस संबंध में अधिकतम दो माह तक का समय बढ़ा सकता है । ऐसी किसी आदेश की सूचना अधीक्षक अभियंता कार्यालय को भेजा जाना आवश्यक होगा । प्रथम स्वीकृति के 4 माह बाद म?समय सीमा बढ़ाने का अधिकार अधीक्षण अभियंता होगा।

संबंधित संस्था केबल बिछाने से पहले मानचित्र की पांच प्रतियों में एवं होने वाले संभावित क्षति एवं क्षतिपूर्ति के संबंध में प्राक्कलन तैयार कर नगर निगम को देंगे। नगर निगम उपरोक्त छायाप्रति में से 3 प्रति हस्ताक्षरित कर अनुमति देने के समय संबंधित संस्था को प्रदाय करेगा । यहां यह आवश्यक होगा कि कार्यस्थल पर निगम के अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति हमेशा उपलब्ध हो । नस्तियों का सधारण जोन स्तर पर होगा।

7/ कार्य करने वाली कंपनी का स्थाई एवं वर्तमान पता, कार्य के पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों का दूरभाष एवं मोबाइल नं. आवेदन के साथ प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा तथा कार्य प्रारंभ करने के पहले दिये गये सूचना पत्र में भी कार्य पर्यवेक्षक एवं वरिष्ठ अधिकारियों का मोबाइल नं. आदि दिया जाना आवश्यक होगा।
(किस रोड पर कहां से कहां तक केबल डालना है, उसका मानचित्र मंगाया जाना चाहिये एवं इसमें लैंडमार्क स्पष्टतया इंगित होने चाहिए)

8/ सड़क के किस ओर केबल डाला जाना है उसकी स्पष्ट स्थिति करना अनिवार्य होगा।

9/ केबल डाले जाने वाले लंबाई का सत्यापन सहायक/उप अभियंता प्रभारी स्तर के अधिकारी से लिया जाना चाहिये जोन कमिषनर, उपअभियंता/सहा.अभियंता एवं समयपाल (नगर निवेश विभाग एवं लोक कर्म विभाग) यह सुनिश्चित करेंगें की कार्य नियमानुसार एवं अनुमति की शर्तो के हिसाब से हो रहा है।

10/ जिन मार्गो पर Duct का निर्माण किया गया है वहां केबल डालने की अनुमति नहीं दी जाऐगी।

- आवेदक/विस्तृत विवरण के साथ, दूरसंचार संस्था का एवं कार्य करने वाली संस्था का नाम , पता, टेलीफोन नं, मोबाइल नं, फैक्स, ई–मेल आई डी के साथ।
- मानचित्र, प्राक्कलन अग्रिम ।
- आवेदन शुल्क डी.डी./क्षतिपूर्ति अग्रिम/ Indenenity bord.
- प्राक्कलन की 20 प्रतिशत राशि की डी.डी. आयुक्त नगर निगम रायपुर नगर निगम रायपुर के पक्ष में देय।

11/ प्रत्येक आवेदन का निराकरण हेतु उप अभियंता प्रस्तुत करेंगें एवं जहां रोड कटिंग (डामर या concrete) है स्वीकृति अधीक्षण अभियंता के माध्यम से आयुक्त देंगें शेष प्रकरणों का निराकरण अधीक्षण अभियंता स्तर पर किया जा सकेगा ।

12/ आयुक्त से स्वीकृति के उपरांत पत्र जारी किया जाएगा 15 दिवस में भुगतान प्राप्त नहीं होने से अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं अग्रिम राजसात हो जाएगी ।

13/ अनुमति निरस्त होने के बाद पुनः आवेदन दिया जाकर नियमानुसार कार्यवाही किया जाना होगा।

आवेदन के साथ निमयानुसार जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगा

***

आवेदन पत्र
केबल डालने की अनुमति के संबंध में

प्रति,

आयुक्त,
नगर पालिक निगम,
रायपुर (छ.ग.) माध्यम जोन आयुक्त क्रमांक.................

i	आवेदक संस्था (दूरसंचार कंपनी) नाम	....
	मुख्य कार्यालय	
	नाम	....
	पता	....
		....
	दूरभाष नं.	....
	फैक्स नं.	....
	सम्पर्क व्यक्ति	....
	मोबाईल नं.	....
	ई–मेल आई–डी	....
ii	स्थानीय कार्यालय	....
	नाम	....
	पता	....
		....
	दूरभाष नं.	....
	फैक्स नं.	....
	सम्पर्क व्यक्ति	....
	मोबाईन नं.	....
	ई–मेल आई–डी	....

2.	कार्य संपादित करने वाली संस्था का नाम (ठेकेदार)	
	नाम	....
	पता	....
		....
	दूरभाष नं.	....
	फैक्स नं.	....
	सम्पर्क व्यक्ति	....
	मोबाईल नं.	....
	फैक्स नं., ई–मेल आई–डी	....
3.	आवेदित मार्ग स्थल का नाम	....
	जहां केबल बिछाने हेतु खुदाई की जानी है।	....
(अ)	प्रभावित वार्डो का नाम एवं संख्या	....
(ब)	प्रभावित जोन के नाम	....
(स)	वर्तमान आवेदन किस जोन का है	....
(द)	क्या अन्य जोन में आवेदन किया जा	....
	चुका है हां तो कब	....
5.	मार्ग की लंबाई (मीटर में)	....
6.	मार्ग (डामर संड़क / डब्ल्यू.बी.एम. /	....
	मुरम / कच्चा मार्ग)	....
7.	प्रस्तावित स्थल का मानचित्र संलग्न	हां / नहीं
8.	क्या केबल बिछाने हेतु केन्द्र शासन / राज्य शासन से पंजीकृत संस्था है ?	....
9.	दूरसंचार कम्पनी द्वारा प्रस्तावित कार्य हेतु प्रस्तावित व्यय	....
10.	अनुमानित क्षतिपूर्ति राषि	....

11.	आवेदक शुल्क रू. प्रतिजोन रू. 5000/–	Amount	....
		Bankers/ D.D. No	....
		Date	....
		Name of Bank	....
12.	क्षतिपूर्ति अग्रिम 20 प्रतिशत	Amount	....
		Bankers/D.D. No	....
		Date	....
		Name of Bank	....

हस्ताक्षर   हस्ताक्षर

नाम   :–   ठेकेदार का नाम

मुख्य दूरसंचार कम्पनी   :–

Check list:-

Check list of enclosers/which must to be submitted along with application with out which the application shall be automaticalby rejacted:-

1. Application form duty tilled.
2. Site map with complect details with landmarks (5 copies).
3. Estimate duty signed – 2 copies.
4. Application Fees Rs. 5000/- by D.D. or Bankers Cheque Payable to commissioner RMC payable at raipur.
5. Advance payment 20% of Total payble by way of D.D. / Bankers Cheque payable at to Commissioner Payable At raipur.
6. Indeminity bond duty natorised on Rs. 100 stamp.

INDEMINITY BOND

THIS DEED of indeminity is mads this date ________________________ of ______________by ____________son of__________________________________ resident of ____

WHEREAS I am authorised to sign this document by M/s______________________ (the cable company which want to cable in RMC. Area.

AND WHEREAS I submitted the Application lay for permission of laying cable over the Municipal area for sanction with R.M.C. (vide Letter No…………….. dated…………) as required.

NOW WHEREAS THE the R.M.C. is likely to sanction is the permission to lay cable

NOW THIS DEED WITNESSES that is pursuance of the aforesaid application and in consideration of R.M.C. having agreed to allow us to lay cable as per plans submitted (vide our application No………….. dated …………...in respect of the site plan of land situatd ar ward No./Zone No…………….. and referred to above I hereby undertake to indminify and keep harmless the R.M.C. from all proceedings in courts and before other authorities including the competent authorities all expenses/losses claims which the R.M.C. may incur or become liable to pay as a result or in consequence of the sanction order by it to the site plan in respect of the ever said sources i.e. sewage, & other service related to other dept also.

Singnature

Name____________________

for Telecom Company

____